

**FORM TO BE FILLED BY THE MINISTRY/DEPARTMENT WHILE FORWARDING PROPOSALS TO THE MINISTRY OF LAW & JUSTICE FOR AMENDING APPROVED RECRUITMENT RULES.**

1. (a) Name of the post : JUNIOR ACCOUNTANT

(b) Name of the Ministry/ Department : Ministry of Textiles,  
Office of the Development Commissioner  
(Handicrafts), West Block No.7,  
R.K. Puram, New Delhi – 110066.

2. Date of notification of the original rules and subsequent amendments : 03.11.1983  
Amended on 24.08.2018  
(copy of the original rules & subsequent amends should be enclosed, duly flagged and referenced)

3.

Col. No.	Classification	Provisions in the approved rules	Revised provisions proposed	Reasons for the revision proposed
6	Age limit for direct recruits	Between 18 and 25 years (relaxable upto forty years in case of Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  Note.-The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.	Between 18 and 27 years (relaxable upto forty years in case of Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  Note.-The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.	As per the guidelines of SSC
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	(i) Degree from a recognized University or Institute, preferably in Commerce with Accounts as a subject and  (ii) three years experience in Cash and Accounts in a Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous body or Statutory body or Private Organisation.  Note 1.- Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection	Bachelor's Degree from a recognized University or equivalent.  Note 1.- Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.  Note 2.- Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of	As per the guidelines of SSC

		<p>Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2.- Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communicate possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>	<p>candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communicate possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>	
--	--	---	--	--

4. Name, addresses and telephone numbers :  
of the Ministry's representative with whom  
these proposals may be discussed, if  
necessary, for clarification/early decision.

Shri Mohan Singh Bisht, AD(Admn.)  
Office of the Development  
Commissioner (Handicrafts),  
West Block 7, R.K. Puram,  
New Delhi – 110066.  
Tel. No. 011-26183619 (O)

  
(Mohan Singh Bisht)  
Assistant Director (Admn.)  
Telephone No. 011-26183619

अनुमोदित भर्ती नियमों को संशोधित करने के लिए कानून एवं न्याय मंत्रालय को प्रस्ताव भेजते हुए मंत्रालय/विभाग द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र।

1.

(क) पद का नाम

:

कनिष्ठ लेखाकार
- (ख) मंत्रालय/विभाग का नाम

:

वस्त्र मंत्रालय,  
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय,  
पश्चिमी खंड-7,  
आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2.

मूल नियमों तथा अनुवर्ती संशोधनों की अधिसूचना की तिथि :

03.11.1983

(मूल नियमों तथा अनुवर्ती संशोधनों की प्रति संलग्न, विधिवत फ्लेग तथा संदर्भित की जाएं।)


24.08.2018 को संशोधित
3.

क्रमांक	वर्गीकरण	अनुमोदित नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	प्रस्तावित संशोधनों के कारण
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18 से 25 वर्ष के मध्य (सरकारी कर्मचारियों के मामले में केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार आयु में चालीस वर्ष तक छूट)।  नोट: आयु सीमा निर्धारण की निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित तिथि होगी।	18 से 27 वर्ष के मध्य (सरकारी कर्मचारियों के मामले में केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार आयु में चालीस वर्ष तक छूट)।  नोट: आयु सीमा निर्धारण की निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित तिथि होगी।	कर्मचारी चयन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार।
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से डिग्री; वरीय रूप से वाणिज्य में जिसमें लेखा (अकाउंट्स) एक विषय हो और  (ii) सरकारी कार्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)/ स्वायत्त निकाय/ सांविधिक निकाय/ निजी संगठन में नकद एवं लेखा में तीन वर्षों का अनुभव।	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समान संस्थान से स्नातक डिग्री।  नोट 1: अधिक अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, लिखित में रिकार्ड किए गए कारणों से अर्हता के संबंध में छूट दी जा सकती है।	कर्मचारी चयन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार।

	<p>नोट 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार लिखित में रिकार्ड किए गए कारणों से अहर्ताओं में छूट दी जा सकती है।</p> <p>नोट 2 : अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में, यदि, चयन के किसी भी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव संबंधी अहर्ताओं में छूट दी जा सकती है।</p>	<p>नोट 2 : अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में, यदि, चयन के किसी भी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव संबंधी अहर्ताओं में छूट दी जा सकती है।</p>	
--	--	---	--

4. मंत्रालय के प्रतिनिधि का नाम, पता एवं टेलीफोन नंबर जिनके साथ इन प्रस्तावों पर, यदि आवश्यक हो, तो स्पष्टीकरण/ शीघ्र निर्णय के लिए, विचार-विमर्श किया जा सके।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, सहायक निदेशक (प्रशा.),  
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय,  
पश्चिमी खंड-7, आर के पुरम,  
नई दिल्ली-110066.  
टेलीफोन नंबर 011-26183619 (का.)

  
 (मोहन सिंह बिष्ट)  
 सहायक निदेशक (प्रशा.)  
 टेलीफोन नं. 011-26183619